भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1523
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दिशा समिति की बैठक

1523. श्री बिष्णु पद राय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि, जैसा कि जनप्रतिनिधि द्वारा दिनांक 27.03.2026 के पत्र संख्या 03/एमपी-एएनआई/2026/143 के माध्यम से अवगत कराया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) योजना प्रारंभ होने के वर्ष 2016 से अब तक राज्य-स्तरीय दिशा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों का परीक्षण किया है;
(ग) उक्त अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों के बावजूद संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा राज्य-स्तरीय दिशा समिति की बैठकें आयोजित न किए जाने के क्या कारण हैं; और
(ङ) राज्य-स्तरीय दिशा समिति की बैठकों का निर्धारित दिशा-निर्देशों और अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ-राज्य क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि 26.07.2021 को संघ-राज्य क्षेत्र स्तरीय दिशा समिति के गठन के पश्चात, संघ-राज्य क्षेत्र स्तरीय दिशा समिति की कोई भौतिक बैठक आयोजित नहीं की गई है। हालांकि, नवंबर 2021 में समिति सदस्यों के बीच भौतिक फाइल परिचालित कर संघ-राज्य क्षेत्र स्तरीय दिशा समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि उस समय कोविड-19 महामारी के

दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भौतिक बैठक आयोजित करना संभव नहीं था। इसके अलावा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ-राज्य क्षेत्र की सरकार ने अब सूचित किया है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संघ-राज्य क्षेत्र स्तरीय दिशा समिति की बैठकें आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(ख) से (ङ) दिशा बैठकों का समय पर आयोजन, प्रभावी शासन सुनिश्चित करने और जिलों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। दिशा के अत्यधिक महत्व को पहचानते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है कि ये बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाएं। मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में नियमित रूप से स्मरण कराता रहा है। हाल ही में दिनांक 03.07.2026 के पत्र के माध्यम से, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को दिशा मार्ग-दर्शिका के प्रावधानों के अनुसार राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र स्तरीय दिशा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए अनुस्मारक भेजा गया है।
